Unit III

अधिनीतिशास्त्र का स्वरूप

हम प्रायः ऐसे कथनों का प्रयोग करते हैं जिन्हें नैतिक कथन अथवा 'नैतिक निर्णय' कहा जाता है। उदाहरणार्थ "सत्य बोलना उचित है", चोरी करना अनुचित है, वह बहुत अच्छा मनुष्य है, उस व्यक्ति का चरित्र बहुत उत्कृष्ट है, अपने माता-पिता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है इत्यादि। इन्हें व इसी प्रकार के अन्य कथनों को हम 'नैतिक कथन' या 'नैतिक निर्णय' कहते हैं जिनका स्पष्टीकरण और विश्लेषण करना अधिनीतिशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है।

नीतिशास्त्र

- नियामक या मानकीय या आदर्शमूलक
- अधिनीतिशास्त्र या विश्लेषणात्मक

तुलना -

मानकीय नीतिशास्त्र हमें यह बताता है कि मनुष्य के लिये स्वतः साध्य शुभ क्या है, उसके कौनसे कर्म उचित हैं और कौनसे अनुचित, अपने प्रति तथा दूसरों के प्रति उसका कर्तव्य क्या है, शुभ-अशुभ तथा उचित-अनुचित अथवा कर्तव्य का निर्धारण किन नैतिक सिद्धान्तों के आधार पर किया जा सकता है, इत्यादि। सामान्य मानव जीवन के लिये परम शुभ तथा कर्तव्य के संबंध में व्यावहारिक एवं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों द्वारा मानकीय नीतिशास्त्र जीवन में मनुष्य का मार्गदर्शन करता है। उदाहरणार्थ सुखवाद एक मानकीय नैतिक सिद्धांत है। जो हमें बताता है कि सुख ही मनुष्य का परम शुभ है। मानकीय नीतिशास्त्र हमें यह बताता है कि हमारे लिए शुभ क्या है और हमें क्या करना चाहिए, ~~जबकि अधिनीतिशास्त्र~~ मानकीय नीतिशास्त्र मनुष्य का मार्गदर्शन करने के लिये प्रतिपादित नैतिक सिद्धांतों के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करता है, जबकि ~~अधिनी~~ अधिनीतिशास्त्र 'अमुक वस्तु हमारे लिये शुभ है' तथा 'अमुक कर्म करना हमारा कर्तव्य है' इन नैतिक निर्णयों के अर्थ एवं स्वरूप का स्पष्टीकरण तथा विश्लेषण करता है तथा इन तर्कों के स्वरूप तथा इनकी विधियों पर विचार करता है और इन तर्कों की प्रामाणिकता की निष्पक्ष रूप से परीक्षा करता है। अधिनीतिशास्त्र वास्तव में मानकीय नीतिशास्त्र का पूरक है। मानकीय नीतिशास्त्र

के निर्णयों तथा तर्कों के अर्थ और स्वरूप को समझने के लिये अधिनीतिशास्त्र का ज्ञान बहुत आवश्यक है। अधिनीतिशास्त्र वास्तव में मानकीय नीतिशास्त्र को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मानकीय नीतिशास्त्र के निर्णयों तथा सिद्धांतों के अभाव में अधिनीतिशास्त्र की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती, अतः इस दृष्टि से वह अपने अस्तित्व और अपनी सार्थकता के लिए अंततः मानकीय नीतिशास्त्र पर ही निर्भर है। अधिनीतिशास्त्र स्वतः साध्य तथा सम्पूर्ण नैतिक दर्शन न होकर नैतिक दर्शन की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है जिसकी सहायता से हम नैतिक भाषा के अर्थ व स्वरूप को भली-भाँति समझ सकते है।

नैतिक शब्दों अथवा निर्णयों का अर्थ, इन निर्णयों का स्वरूप तथा प्रमाणीकरण - ये तीन समस्याएं अधि-नीतिशास्त्र की मूल समस्याएं है।

अधिनैतिक सिद्धांतो का वर्गीकरण —

अधिनैतिक सिद्धांतो को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

1) संज्ञानात्मक सिद्धांत
2) असंज्ञानात्मक सिद्धांत

~~1) संज्ञानात्मक सिद्धांत~~ इन दोनों प्रकार के अधिनैतिक सिद्धांतो को क्रमशः वर्णनात्मक सिद्धांत तथा अवर्णनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इन दोनों प्रकार के अधिनैतिक सिद्धांतो का समर्थन करने वाले दार्शनिकों ने दो मूलतः भिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर अधिनीतिशास्त्र की मूल समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है।

1) संज्ञानात्मक सिद्धांत -

संज्ञानात्मक सिद्धांतो के अनुसार नैतिक निर्णय तथ्यात्मक निर्णयों के समान ही संज्ञानात्मक अथवा वर्णनात्मक होते हैं— अर्थात ये निर्णय तथ्यात्मक निर्णयों की भाँति किन्हीं तथ्यों का वर्णन मात्र करते है। इन सिद्धांतो के समर्थकों का कथन है कि नैतिक निर्णयों और तथ्यात्मक निर्णयों में कोई मूल भेद नहीं है, क्योंकि ये दोनों प्रकार के निर्णय हमें कुछ तथ्यों का बोध कराते है और इस दृष्टि से ये दोनों समान रूप से संज्ञानात्मक है। उदाहरणार्थ "दुखी और असहाय मनुष्य की सहायता करना उचित है" यह नैतिक निर्णय "पृथ्वी गोल है" इस तथ्यात्मक निर्णय के

दो वर्ग – प्रकृतिवादी सिद्धांत, ~~निर्प्रकृतिवादी सिद्धांत~~
दोनों मानते हैं वर्णनात्मक अथवा संज्ञानात्मक है। इसलिए इनको संज्ञानवादी

असंज्ञानात्मक सिद्धांत –

जो दार्शनिक असंज्ञानात्मक अधि-नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करते हैं उनका दृष्टिकोण नैतिक निर्णयों के विषय में संज्ञानवादियों के दृष्टिकोण के ठीक विपरीत है। असंज्ञानवादी दार्शनिकों के मतानुसार नैतिक निर्णयों का उद्देश्य किन्हीं तथ्यों का वर्णन मात्र करना अथवा केवल किन्हीं तथ्यों का बोध कराना नहीं होता, अतः ये निर्णय मुख्यतः वर्णनात्मक नहीं होते। तथ्यात्मक निर्णयों के विपरीत ये नैतिक निर्णय वक्ता की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, अन्य व्यक्तियों में इन भावनाओं को जागृत करते हैं और उन्हें कोई कार्य करने या न करने का आदेश अथवा परामर्श देते हैं। इसी कारण इन निर्णयों को निवेदनात्मक या परामर्शात्मक ही कहा जा सकता है, वर्णनात्मक नहीं। नैतिक निर्णयों द्वारा हमें किसी प्रकार के तथ्यों का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अतः तथ्यात्मक निर्णयों के विपरीत इन्हें ~~असंज्ञानात्मक~~ असंज्ञानात्मक ही माना जा सकता है। वर्णनात्मकता और संज्ञानात्मकता के अतिरिक्त निर्णीत वस्तु के प्रति वक्ता की तटस्थता भी तथ्यात्मक निर्णयों की मुख्य विशेषता है, परन्तु असंज्ञानवादियों के अनुसार यह विशेषता भी नैतिक निर्णयों में नहीं पाई जाती। असंज्ञानात्मक सिद्धांतों के समर्थकों के अनुसार नैतिक निर्णय तथ्यात्मक निर्णयों से मूलतः भिन्न होते हैं, अतः इन दोनों प्रकार के निर्णयों के अर्थ, स्वरूप तथा प्रमाणीकरण संबंधी समस्याओं का समाधान भी समान विधि द्वारा संभव नहीं है। इसी विचारधारा को 'असंज्ञानवाद' कहा जाता है।

दो रूप – संवेगवाद, परामर्शवाद

1) परामर्शवाद

आर. एम. हेयर परामर्शवाद के प्रणेता माने जाते हैं। साथ ही पी एच नावेल स्मिथ ने भी परामर्शवाद का समर्थन किया है।

परामर्शवादियों के मतानुसार नैतिक निर्णयों का मुख्य उद्देश्य भावनाओं को अभिव्यक्त और जागृत करना नहीं, अपितु मनुष्यों को कुछ करने या न करने का परामर्श देना अथवा उनका मार्गदर्शन करना ही है। इसी कारण वे नैतिक निर्णयों को मुख्यतः 'निवेदनात्मक' न मानकर 'परामर्शात्मक' ही मानते हैं।

उनका कथन है कि हम दूसरों के संवेगों को प्रभावित करने के लिये नहीं, अपितु उन्हें कोई कर्म करने या न करने का परामर्श देने और इस प्रकार उनका मार्गदर्शन करने के लिये ही नैतिक निर्णय देते हैं।

परामर्शवादी जिस सिद्धांत के आधार पर नैतिक निर्णयों के अर्थ की व्याख्या करते हैं उसे उपयोग सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक शब्द का अर्थ किसी विशेष प्रसंग के अन्तर्गत उसके उपयोग में ही निहित रहता है। यदि हम किसी शब्द या वाक्य का अर्थ जानना चाहते हैं तो हमें यह जानना चाहिये कि किसी विशेष प्रसंग में वह क्या कार्य करता है अर्थात उसका उपयोग किसलिए किया जाता है। उसके उपयोग को भली-भांति समझ लेने पर ही हम उसका ठीक-ठीक अर्थ निश्चित कर सकते हैं। विविध प्रसंगों में विविध उपयोगों के अनुसार एक ही कथन के अनेक अर्थ हो सकते हैं, अतः किसी भी एक कसौटि द्वारा सभी शब्दों अथवा कथनों की सार्थकता को निश्चित नहीं किया जा सकता।

आर.एम. हेयर, पी. एच. नॉवल स्मिथ, एस. ई. टूलमिन जे. ओ. अर्मसन आदि अनेक दार्शनिकों ने इसी सिद्धांत के आधार पर नैतिक निर्णयों का अर्थ स्पष्ट किया है।

आर. एम. हेयर (R. M. Hare)

हेयर परामर्शवाद के प्रणेता हैं इनकी प्रमुख पुस्तक 'द लैंग्वेज आफ़ मॉरल्ज़' (1952) व फ्रीडम ऐंड रीज़न' (1963)

उनके अनुसार नैतिक भाषा का तार्किक अध्ययन और विश्लेषण ही नैतिक दर्शन की मूल समस्या है। अपनी इसी मान्यता के आधार पर उन्होंने नैतिक दर्शन के स्वरूप और उद्देश्य का विवेचन किया है। एयर, स्टीवेन्सन, ऐडवर्ड्स आदि दार्शनिकों की भांति हेयर भी यह मानते हैं कि दर्शन के रूप में नीतिशास्त्र नैतिकता की दृष्टि से तटस्थ रहता है—अर्थात् वह किसी विशेष नैतिक सिद्धांत का समर्थन या प्रचार नहीं करता। नैतिक भाषा के अर्थ का विश्लेषण तथा स्पष्टीकरण ही उसका मुख्य उद्देश्य है। हेयर का मत है कि नैतिक भाषा परामर्शात्मक भाषा का ही एक रूप है, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य हमारे इस प्रश्न का उत्तर

देना है कि हमें कृपा करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि नैतिक भाषा हमारे उक्त प्रश्न का उत्तर देकर व्यवहारिक जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती है, अतः आचरण की दृष्टि से हमारे लिए इसका विशेष महत्व है। हेयर नैतिक भाषा के स्वरूप व उद्देश्य को भली-भाँति समझने के लिये उसका समुचित विश्लेषण करना बहुत आवश्यक मानते हैं। उनका कथन है कि इस भाषा के माध्यम से हम जिन नैतिक नियमों को अभिव्यक्त करते हैं उनका हमारे आचरण के साथ बहुत घनिष्ठ तथा अनिवार्य संबंध है। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किन नैतिक नियमों में विश्वास करता है तो हमें व्यवहारिक जीवन में उसके कर्मों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि किसी मनुष्य के नैतिक नियमों को जानने का यही सर्वाधिक विश्वसनीय उपाय है। कोई भी व्यक्ति अपने वार्तालाप में अनेक महान नैतिक नियमों का बड़ी दृढ़ता से शाब्दिक समर्थन कर सकता है, किंतु यह संभव है कि वह अपने व्यवहारिक जीवन में वस्तुतः कभी भी उन नियमों के अनुरूप आचरण न करता हो। इसी कारण हेयर यह कहते हैं कि हम मनुष्य के नैतिक नियमों का वास्तविक ज्ञान उसके कर्मों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, उसके शब्दों द्वारा नहीं। अपनी इसी मान्यता के आधार पर उन्होंने अपने परामर्शवाद की पुष्टि करने का प्रयास किया है, क्योंकि उनके मतानुसार नैतिक नियमों का मनुष्य के आचरण के साथ वही संबंध है जो नैतिक निर्णयों का है - अर्थात ये दोनों ही मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार हेयर यह निश्चित रूप से मानते हैं कि नैतिक नियम तथा नैतिक निर्णय न तो तथ्यात्मक होते हैं और न संवेगात्मक; ये दोनों वास्तव में मार्गदर्शक अथवा परामर्शात्मक होते हैं।

हेयर का ~~..~~ विचार है कि ~~...~~ उपयोग सिद्धांत अन्य सभी प्रकार के कथनों की भाँति नैतिक निर्णयों पर भी पूर्णरूप से लागू होता है। इसी कारण उन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार ही इन निर्णयों के अर्थ और स्वरूप का विश्लेषण किया है। हेयर के अनुसार नैतिक निर्णयों की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं—

1) ये निर्णय मुख्यतः परामर्शात्मक या मार्गदर्शक होते हैं
2) सार्वलौकिक होने के कारण ये निर्णय अन्य परामर्शात्मक निर्णयों अर्थात आदेशों अथवा आज्ञाओं - से भिन्न होते हैं।

3) इन निर्णयों के समर्थन में बौद्धिक तथा बुद्धिसंगत तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं, क्योंकि परामर्शात्मक कथन भी तथ्यात्मक कथनों के समान ही भाषा के प्रयोग से सम्बन्धित तार्किक नियमों द्वारा शासित होते हैं।

हेयर का विचार है कि ये तीनों विशेषताएँ मिलकर इन निर्णयों के सभी महत्त्वपूर्ण पक्षों को प्रस्तुत करती हैं। इसी स्थिति में नैतिक निर्णयों की ~~भेद~~ तीनों विशेषताएँ हेयर के परामर्शवाद ~~के~~ के मूल आधार हैं। हेयर परामर्शात्मकता को नैतिक भाषा की मूल विशेषता मानते हैं और इसकी स्वीकार्यता के आधार पर नैतिक शब्दों तथा निर्णयों के अर्थ का विश्लेषण करते हैं।

यहां हेयर के सिद्धांत के विरुद्ध यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि इसके द्वारा उन्होंने नैतिक निर्णयों के अर्थ की जो परामर्शात्मक व्याख्या की है वह दोषपूर्ण है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति इन निर्णयों को सामान्य स्वीकार करते हुए भी अपने दैनिक जीवन में वस्तुतः इनके अनुरूप आचरण नहीं करते। इस अनुभव सिद्ध तथ्य से यही प्रमाणित होता है कि स्वयं अपने निर्णयों के विरुद्ध आचरण करना तार्किक दृष्टि से असंभव नहीं है। हेयर स्वयं यह स्वीकार करते हैं ~~कि कुछ~~ व उत्तर देते हैं कि यदि व्यवहारिक जीवन में अनेक व्यक्ति स्वयं अपने नैतिक निर्णयों के विपरीत आचरण करते हैं परंतु इससे उनका परामर्शात्मक सिद्धांत असत्य प्रमाणित नहीं होता। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नैतिक निर्णयों के अनुरूप आचरण न करना उन निर्णयों के परामर्शात्मक अर्थ का खंडन नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति किसी नैतिक निर्णय को वास्तव में पूर्णतः स्वीकार करते हुए भी उसके अनुसार आचरण नहीं करता तो निश्चय ही यह उसकी नैतिक दुर्बलता का द्योतक है।

पी. एच. नावलस्मिथ –

आर. एम. हेयर की भांति पी. एच. नावलस्मिथ भी नैतिक निर्णयों के अर्थ और प्रमाणीकरण के संबंध में अवर्णनात्मक सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जो संवेगवाद से भिन्न है। यद्यपि उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि वे परामर्शवाद के समर्थक हैं, फिर भी नैतिक निर्णयों के अर्थ तथा प्रमाणीकरण के विषय में उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए यह कहना संभवतः अनुचित न होगा कि उनका सिद्धांत हेयर के परामर्शवाद से मूलतः भिन्न नहीं है। नावलस्मिथ ने अपने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या 'ऐथिक्स' (1954) नामक अपनी पुस्तक में की है।

नावलस्मिथ नीतिशास्त्र को सैद्धान्तिक विज्ञान न मानकर ऐसा 'व्यावहारिक विज्ञान' मानते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य आचरण के संबंध में मनुष्य का मार्गदर्शन करना है। एयर, स्टीवेन्सन तथा हेयर की भांति नावलस्मिथ भी यह मानते हैं कि आचरण की दृष्टि से तटस्थ होते हुए भी अधि-नीतिशास्त्र मनुष्य की नैतिक समस्याओं को समझने और उनके समाधान में अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। नावलस्मिथ नैतिक निर्णयों के अर्थ एवं प्रमाणीकरण के विषय में अवर्णनात्मक सिद्धांत को ही स्वीकार करते हैं उनका विचार है कि नैतिक भाषा तथ्यात्मक अथवा वर्णनात्मक भाषा से भिन्न प्रकार की होती है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य किन्हीं तथ्यों का वर्णन मात्र करना नहीं, अपितु आचरण के संबंध में मनुष्य का मार्गदर्शन करना ही होता है। इस दृष्टि से नैतिक भाषा का मनुष्य के आचरण के साथ अनिवार्य संबंध है और मुख्यतः यही तथ्य नीतिशास्त्र को 'व्यावहारिक विज्ञान' बनाता है तथा उसे सभी सैद्धान्तिक विज्ञानों से पृथक् करता है।

नैतिक भाषा के उक्त अवर्णनात्मक स्वरूप को जान लेने से हमें अपने व्यावहारिक जीवन में नैतिक समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में अवश्य सहायता मिलती है। हमारी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका नैतिक प्रश्नों तथा समस्याओं से विशेष संबंध है। इन शब्दों में शुभ, अशुभ, अनुचित, कर्तव्य, पुण्य, दुःख, इच्छा, संकल्प, स्वैच्छिक, पश्चात्ताप आदि शब्द विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

नावलस्मिथ का कथन है कि जो व्यक्ति नैतिक समस्याओं में प्रयुक्त इन शब्दों का ठीक-ठीक अर्थ नहीं जानते वे वास्तव में नीतिशास्त्र में कुछ नहीं सीख सकते। उनके इस कथन से यह स्पष्ट है कि वे हमारे व्यवहारिक जीवन में नैतिक समस्याओं के संतोषप्रद समाधान के लिये नैतिक भाषा के स्वरूप के समुचित ज्ञान को विशेष महत्व देते हैं।

नैतिक निर्णय तथ्यात्मक कथनों तथा संवेगात्मक अभिव्यक्तियों दोनों से निश्चय ही भिन्न है, किन्तु नैतिक निर्णयों में इन दोनों के कुछ तत्व अवश्य विद्यमान रहते हैं। तथ्यात्मक कथनों की भांति नैतिक निर्णयों के विषय में हम वस्तुपरक भाषा का प्रयोग करते हैं और इन निर्णयों को सत्य अथवा मिथ्या कहते हैं। यह तथ्य नैतिक निर्णयों को संवेगात्मक वाक्यों से पृथक करता है। परन्तु निर्णय तथ्यात्मक कथनों की भांति वर्णनात्मक भी नहीं है, क्योंकि किन्हीं तथ्यों का वर्णन मात्र न करके मनुष्य के आचरण का मूल्यांकन तथा मार्गदर्शन करते हैं। नावलस्मिथ का विचार है कि नैतिक निर्णय वास्तविक वास्तव में तथ्यात्मक कथनों तथा संवेगात्मक अभिव्यक्तियों का मिश्रित रूप है, किन्तु ये निर्णय इन दोनों से अवश्य ही भिन्न हैं।

हेयर की भांति नावलस्मिथ भी मुख्यतः शब्दार्थ विषयक उपयोग सिद्धांत के आधार पर ही नैतिक निर्णयों तथा शब्दों के अर्थ की व्याख्या करते हैं। वे भी यह मानते हैं कि किसी शब्द का एक-2 अर्थ समझने के लिये यह जानना आवश्यक है कि किसी विशेष प्रसंग में उस शब्द का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। इस संबंध में स्टीवेन्सन तथा हेयर की भांति नावलस्मिथ ने भी शब्दार्थ संबंधी निर्देशात्मक सिद्धांत को अस्वीकार किया है।

नावलस्मिथ के विचार में कोई भी शब्द सभी प्रसंगों में केवल एक ही कार्य नहीं करता। हमारी भाषा में अधिकतर शब्द ऐसे ही हैं जो विभिन्न प्रसंगों में भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में किसी शब्द का सभी प्रसंगों में एक ही निश्चित अर्थ बताना न तो संभव है और न उचित। प्रत्येक शब्द का अर्थ किसी विशेष प्रसंग में उसके उपयोग को ध्यान में रखकर ही निश्चित किया जा सकता है। भाषा विश्लेषण करने वाले दार्शनिक का कार्य प्रसंगानुसार कथनों के उपयोग के आधार पर उनका अर्थ

स्पष्ट करना है। अपनी इसी मान्यता के कारण नावल स्मिथ ने नैतिक निर्णयों के अर्थ की व्याख्या करने के लिये भी उपयोग सिद्धान्त को ही स्वीकार किया है। उनका मत है कि ये निर्णय, सभी प्रसंगों में एक ही प्रकार का कार्य नहीं करते, अतः इनका कोई एक अर्थ नहीं हो सकता। वस्तुतः ये निर्णय बहुउद्देश्यीय होते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रसंगों में ये भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं।

स्टीवेन्सन तथा हेयर की भांति नावल स्मिथ ने भी 'शुभ' या 'अच्छा', 'उचित', 'कर्तव्य', 'चाहिए' आदि प्रमुख नैतिक शब्दों के अर्थ का विस्तृत विवेचन किया है। हेयर के समान ही वे भी उपयोग सिद्धांत के आधार पर ही इन नैतिक शब्दों के अर्थ की व्याख्या करते हैं। शुभ अथवा अच्छा शब्द के संबंध में नावल स्मिथ का कथन है कि इस शब्द का कोई एक ही अर्थ नहीं है क्योंकि प्रसंगों में प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है। उनका मत है कि जिन नियमों के आधार पर मनुष्य अपने व्यवहारिक जीवन में सदैव कर्म करने का निर्णय करता है उन्हें ही नैतिक नियम कहा जाता है। ये नियम मनुष्य की विशेष अनुमोदनात्मक अभिवृत्तियां हैं जो उसके आचरण को निर्धारित करती हैं।

नावल स्मिथ ने नैतिक नियमों की तीन विशेषताएं बताई हैं जो हैं -

1) मनुष्य सदैव नियमों के अनुरूप आचरण करता है और किसी नैतिक नियम का उल्लंघन तभी करता है जब उस नियम अपेक्षा अधिक व्यापक तथा महत्वपूर्ण नैतिक नियम के लिए ऐसा करना अनिवार्य हो जाए।
2) यदि मनुष्य नैतिक नियमों के विरुद्ध आचरण करता है तो उसे मन में अपराध बोध तथा पश्चाताप की भावनाएं अवश्य उत्पन्न होती हैं।
3) किसी भी नियम को 'नैतिक नियम' तब तक नहीं माना जा सकता एवं तक मनुष्य समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों पर उसे लागू करने के लिए उद्यत नहीं होता। अतः सार्वलौकिकता के अभाव में हम किसी नियम को 'नैतिक नियम' नहीं कह सकते।